

फर्द अहकाम
कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री जिनेन्द्र सोनी, 113 अपेक्स मॉल, लालकोठी टोंकरोड, जयपुर – अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द – प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा- अपील सूचना का अधिकार, 2005

पत्रावली संख्या 24/2020

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक 05.03.2020</p> <p>पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।</p> <p>लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा जरिये क्रमांक: प.1()सू0अ0,05/2020/276-277 दिनांक 02.03.2020 से प्राप्त रिपोर्टानुसार अपीलार्थी का आवेदन पत्र दिनांक 11.12.2019 को सूचना के अधिकार अधिनियम, 05 के तहत इस कार्यालय को दिनांक 23.12.2019 व अनुभाग को 27.12.2019 को प्राप्त हुआ है। प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना बिन्दु संख्या 01 से 02 के संबंध में आरटीआई आवेदन पत्र से मांगी गई अवधि की सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने से दिया जाना संभव नहीं होने से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7(8)(1) के तहत प्रार्थी अपीलार्थी को इस कार्यालय द्वारा जरिये पत्रांक क्रमांक: प.1()सू0अ0,05/2019/941 दिनांक 30.12.2019 से पत्र प्रेषित कर समयावधि में सूचित किया गया। प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा आरटीआई आवेदन पत्र से मांगी गई अवधि की सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने से प्रार्थी/अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं कराई जा सकी हैं।</p> <p>लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द की रिपोर्टानुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने से अपीलार्थी को यथा समय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द के द्वारा सूचित किया जा चुका है।</p> <p>अतः उक्त स्थिति के मद्देनजर अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द को भिजवायी जावे।</p> <p style="text-align: center;">पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।</p>	



लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमन्द